

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/195/2012/938

भोपाल, दिनांक ५-५-२०१२

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री एस.एल. अहिरवार	AH9396	शा हाईस्कूल भाट खमरिया जिला दमोह	शा हाईस्कूल लक्ष्मण कुटी जिला दमोह 23120366605
2	श्री के.बी. एल. अहिरवार	AH5866	शा हाईस्कूल मगरोन जिला दमोह	शा. हाईस्कूल समन्ना दमोह 23120366624
3	श्री उदय नारायण सिंह	BC8072	शा. हाईस्कूल निगरी जिला सिंगरौली	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि निवास जिला सिंगरौली
4	श्री पीयूष मणि तिवारी	AX4614	शा हाईस्कूल पटपरा जिला रीवा	शा. हाईस्कूल भरौली जिला सतना 23139966609
5	डॉ० मिनी वर्मा	AA1089	शात्र हाईस्कूल पाटन जिला सीहोर	शा. हाईस्कूल चौबारा जागीर सोनकछ जिला देवास 23230366606

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।

4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।

5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से जवाईन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा।

8/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरणों से किसी हाईस्कूल विद्यालय में हाईस्कूल प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है, तो संबंधित को कार्यमुक्त न करें।

9/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/195/2012/७३९
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ५-७-२०१२

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/195/2012/७५०

भोपाल, दिनांक ५-५-१२'

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	कुमारी अनिता चौधरी	AH8247	शा. हाईस्कूल गौरीशंकर हटा दमोह	शा. हाईस्कूल सरदार पटेल जिला दमोह 23120366604
2	श्री कैलाश चंद्र साहू	AD3968	शा. उमावि. मैकेपार बालाघाट	शा. हाईस्कूल कटेदरा जिला बालाघाट 23450366602
3	डॉ० अनिता शर्मा	AK7892	शा. हाईस्कूल पंडोखर जिला दतिया	शा. हाईस्कूल सिविल लाईन दतिया 23050166601
4	श्री देवेन्द्र प्रसाद पटेल	AW5886	शा. हाईस्कूल बघवार जिला सीधी	शा० हाईस्कूल सुमैदा जिला रीवा 23140566610
5	श्रीमती भारती एन्थोनी	AB4623	शा. हाईस्कूल ठेमी जिला नरसिंहपुर	शा. हाईस्कूल सुकरी जिला जबलपुर 23390166601
6	श्री अनिरुद्ध कुमार चर्मकार	AW1802	शा. हाईस्कूल पनगरा नागौद जिला सतना	शा. हाईस्कूल सागौनी जिला सतना 23130566601
7	श्री मान सिंह कनौजिया	AL1154	शा हाईस्कूल दिहायला नरवर जिला शिवपुरी	शा. हाईस्कूल पारसन जिला ग्वालियर 23040466608
8	श्री आशाराम माहोर	-	जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना	शा. हाईस्कूल खेरिया, वि० ख० पोरसा जिला मुरैना 23020166614
9	श्री ध्यान सिंह परस्ते	BE7741	शा. हाईस्कूल मुडगुडी जिला उमरिया	शा. हाईस्कूल पठारी जिला उमरिया 23150766617
10	श्री अशोक कुमार सिंह	AL6153	शा. हाईस्कूल उउँ जिला हरदा	शा. नवीन हाईस्कूल सिरवाड बावई होशंगाबाद 23370266617
11	श्री सुधीर कुमार सक्सेना	AR2515	शा हाईस्कूल कुथियाना जिला मुरैना	शा. हाईस्कूल किशनपुर जिला मुरैना 23020366615
12	श्री महेश कुमार निहाले	BB4187	जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मंदसौर	शा. हाईस्कूल एरिया मन्दसौर 23190266620

13	श्री मोहन स्वरूप पंसारी	BB4187	शा. हाईस्कूल गरैठा जिला शिवपुरी	प्रभारी प्राचार्य शा. कन्या उमावि. पिछौर जिला शिवपुरी -
14	श्रीमती शर्मिला सेन गुप्ता	AX5220	शा. हाईस्कूल खजुहा जिला रीवा	शा. हाईस्कूल बैरागढ खुमान जिला सीहौर 23330566609
15	श्री इन्द्रजीत वर्मा	AW4528	शा. हाईस्कूल अमिरती जिला रीवा	शा हाईस्कूल बेला जिला सतना 23139966672
16	श्री करण सिंह भिलांला	AV1278	शा. हाईस्कूल व्यावशंकला राजगढ	प्रभारी प्राचार्य शा. कन्या उमवि. खिलचीपुर जिला राजगढ 23300577702
17	श्रीमती निरूपमा कमल भरतिया	-	शा. हाईस्कूल निमबोला बुरहानपुर	शा. नवीन हाईस्कूल लालबाग जिला बुरहानपुर 23480266629

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।

4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए ।

5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।

6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।

7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।

8/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरणों से किसी हाईस्कूल विद्यालय में हाईस्कूल प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है, तो संबंधित को कार्यमुक्त न करें ।

9/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भगत भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रेखा तिवारी	AN5295	शा. हाईस्कूल मझगवाँ जिला कटनी	शा0 हाईस्कूल जुहली जिला कटनी 23380266609
2	श्रीमती अनामिका खरे	AX2791	जिला शिक्षा अधिकारी रीवा	शा हाईस्कूल करारिया जिला विदिशा 23310766616

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा।
- 8/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल विद्यालय में हाईस्कूल प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है, तो संबंधित को कार्यमुक्त न करें।
- 9/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

संक्रमांक/स्था-1/राज/पी/212/2012/95।
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ५-७-२०१२

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था01/राज/सी/91/2012/958

भोपाल दिनांक 4-7-2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 के आदेश क्रमांक/स्थापना/राज/पी/83/2011/ 250-251 दिनांक 04.02.2012 के स0 क्र0 424 श्रीमती संगीता अग्रवाल (यूनिफ कोड AA 1828) व्याख्याता शा0उ0मा0वि0 चांदबड भोपाल को व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नत कर शासकीय हाईस्कूल चाठौली ग्यारसपुर जिला विदिशा में पदांकन किया गया था । जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के पत्र क्रमांक 4314 दिनांक 06.06.2012 एवं श्रीमती अग्रवाल के आवेदन दिनांक 06.06.2012 के क्रम में पदोन्नति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

“ प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”



संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/स्था01/राज/सी/91/2012/959
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 4-7-2012

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म0प्र0।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. कलेक्टर जिला भोपाल/विदिशा म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला भोपाल/विदिशा म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग म.प्र.।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल/विदिशा म.प्र.।
9. कोषालय अधिकारी जिला भोपाल/विदिशा मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य उ0मा0वि0चांदबड भोपाल/हाईस्कूल चाठौली ग्यारसपुर विदिशा।
11. संबंधितजन.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्थापना-1/राज/सी/05/2011/ 963 भोपाल, दिनांक 4/7/2012

//संशोधन आदेश//


लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/सी/05/2011/712-713 दिनांक 15.5.2012 द्वारा स0क0 8 पर श्री तीरथराज यादव, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल तिन्दुहटा जिला सतना को प्रशासनिक आधार पर शा. हाई स्कूल बरहटी जिला रीवा स्थानान्तरित किया गया था । उक्त संस्था में दोहरी पदस्थापना होने के कारण उक्त स्थानान्तर आदेश में संशोधन करते हुए श्री तीरथराज यादव को अब शा. उ0मा0वि0 गंगहरा जिला रीवा में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ किया जाता है ।


संचालक

लोक शिक्षण म0प्र0

पृ0क0 स्था-1/राज/सी/05/2011/ 964 भोपाल, दिनांक 4/7/2012
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. कलेक्टर जिला सतना /रीवा/ म.प्र. ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सतना/रीवा/ म.प्र. ।
7. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग म.प्र. ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, सतना/रीवा म.प्र. ।
9. कोषालय अधिकारी जिला सतना/रीवा मध्यप्रदेश ।
10. प्राचार्य शा. हाई स्कूल तिन्दुहटा जिला सतना/शस. हाई स्कूल बरहटी /शा. उ0मा0वि0 गंगहरा जिला रीवा
11. संबंधितजन.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश